राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप 6(29)नविवि/3/2004पार्ट जयपुर,दिनांकः - 3 FEB 2015

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र संख्या प.6(19)नविआ/89 दिनांक 21.9.99 एवं प.7(11) नविवि/14 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा निजी खातेदारो से समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणो में खातेदारो/भू–स्वामियो को उनकी अवाप्ताधीन भूमि के एवज में क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्तानुसार विकसित भूमि उन्हीं खातेदारो को दी जावेगी जिन खातेदारो द्वारा समय पर विकल्प दिया गया है।

भूमि अवाप्ति के कई प्रकरणो में अभी भी खातेदारो को मुआवजा का भुगतान नहीं होने के कारण संस्थाओं को अवाप्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा इस कारण योजनाओ का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्षो से लंबित प्रकरणो के निस्तारण हेतु जिन खातेदारो द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे खातेदारो को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.04.2015 तक रहेगी, जो निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगाः–

1. दिनांक 27.10.200 5 से पूर्व के जारी अवार्ड में भूमि के बदले विकसित भूमि 15 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पूर्व के प्रकरणो में अन्य के समान अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.4.2015 रहेगी।
2. दिनांक 27.10.2005 के पश्चात जारी अवार्ड में भूमि के बदले विकसित भूमि 25 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् के प्रकरणो में अन्य खातेदारो के समान अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने बाबत विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.4.2015 रहेगी।
3. जिन खातेदारो ने राशि नहीं उठाई है, उन्ही को केवल विकल्प का मौका दिया जावेगा।
4. नवीन विकल्प के तहत विकसित भूमि देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ताधीन भूमि की विधिवत रूप से प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड/न्यास द्वारा कब्जा लिया जा चुका है। यदि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो सम्बन्धित काश्तकारो द्वारा उसे प्रत्याहारित (withdraw) करने के बाद ही विकसित भूमि दी जावे।

आज्ञा से,

2/2/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त/उप शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

2/4/15

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय